(वाद संख्या–1187/4/6/2020)

07.01.2022

प्रसंगाधीन मामला, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0) के कार्यालय, भोजपुर, आरा में नियोजित/कार्यरत एक दैनिक मजदूर (परिवादी, कुँअर राम) के दिनांक–01.01.2014 से दिनांक–01.01.2015 तक के पारिश्रमिक का भुगतान न किए जाने व दिनांक–01.01.2016 से अपने कार्यरत अवधि तक के आदेशित 157/–रु0 प्रतिदिन की दर से भुगतान न कर मात्र 1000/–रु0 प्रतिमाह की दर से अद्यतन भुगतान किये जाने से संबंधित है।

परिवादी के परिवाद पत्र के आधार पर मामले से संबंधित तथ्य निम्नलिखित हैः–

(1) परिवादी, कुँअर राम, को राजस्व पर्षद, पटना के पत्रांक–3/7–4/96–767, दिनांक–24.06.2013 के आलोक में तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), भोजपुर, आरा द्वारा अपने ज्ञापांक–53, दिनांक–02.12.2013 द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश द्वारा **दैनिक मजदूरी (रु0 157 प्रतिदिन, प्रतिमाह 26दिनों तक के लिये) पर अपने कार्यालय में काम पर रखा गया।**

(2) परिवादी को माह दिसम्बर 2013 में किए गये कार्य का 157रु0 प्रति कार्य दिवस की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया गया, जबकि परिवादी का दावा है कि उसे श्रम विभाग, बिहार के न्युनतम मजदूरी के संबंध में तत्समय प्रवृत परिपत्र के अनुसार नियमानुसार 168रु0 प्रतिकार्य दिवस की दर से भुगतान किया जाना चाहिए था।

(3) **जनवरी 2014** से परिवादी को मात्र **1,000रुपया प्रतिमाह** की दर से पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा किया जाने लगा। श्रम अधीक्षक, भोजपुर, आरा द्वारा परिवादी के पारिश्रमिक के भुगातन के प्रश्न पर विचार कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), भोजपुर, आरा को तत्समय प्रवृत **अकुशल मजदूर के पारिश्रमिक** (168रु0 से 206रु0 प्रति कार्यदिवस के बीच) की दर से भुगतान करने का निर्देश दिया गया है लेकिन इस निर्देश का भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), भोजपुर, आरा द्वारा

अनुपालन न कर, **बिना किसी युक्तिसंगत आधार के** परिवादी को 1,000रु0 प्रतिमाह की दर से उसके सम्पूर्ण कार्यदिवस के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता रहा, जिसे परिवादी द्वारा अपनी दयनीय स्थिति को देखते हुए स्वीकार किया जाता रहा।

परिवादी ने राज्य आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह स्वीकार किया है कि जनवरी 2014 से लगातार उक्त कार्यालय में कार्य करने का उसे रु0 1000रु0 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया है तथा **उसका उक्त दर पर कोई भुगतान बकाया नहीं है।**

परिवादी के उपरोक्त आशय के परिवाद पत्र व उक्त परिवाद पत्र पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), भोजपुर, आरा के प्रतिवेदन पर विचार कर राज्य आयोग के द्वारा **दिनांक–23.06.2021 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), भोजपुर, आरा के प्रतिवेदन से असहमत होकर उन्हें श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के दैनिक मजदूरी से संबंधित समय–समय पर निर्गत अधिसूचना तथा इस संबंध में श्रम अधीक्षक, भोजपुर, आरा द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), भोजपुर, आरा को अपने पत्रांक–554, दिनांक–09.09.2016 द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्देश के अनुरूप परिवादी को उनके कार्य अवधि तक के अन्तर पारिश्रमिक का भुगतान कर तद्नुसार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने की अनुशंसा की गयी।**

राज्य आयोग के उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), भोजपुर, आरा द्वारा अपने पत्रांक–1008, दिनांक–01.11.2021 के द्वारा वांछित अनुपालन प्रतिवेदन की स्थान पर पुनः एक विस्तृत प्रतिवेदन राज्य आयोग को समर्पित किया गया है जिस प्रतिवेदन के साथ जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा का पत्रांक–797, दिनांक–28.08.2021 भी अनुलग्नित है। उनदोनों वरीय पदाधिकारियों द्वारा राज्य आयोग के दिनांक–23.06.2021 के उपर्युक्त अनुशंसा को, बिना कोई वैधानिक व युक्ति संगत तर्क, के चुनौती देते हुए अनुपालन न किये जाने की सूचना राज्य आयोग को दी गयी है। उनदोनों पदाधिकारियों द्वारा उन्हीं बातो की

पुनरावृति की गयी है जिन पर राज्य आयोग द्वारा विचार कर दिनांक–23.06.2021 को अन्तिम आदेश पारित किया था।

अपने पुर्नप्रतिवेदन में उन दोनों पदाधिकारीयों द्वारा राज्य आयोग को पुनः यह स्पष्ट नहीं किया गया कि एक सरकारी कार्यालय द्वारा सरकार के किस नियम के तहत परिवादी को 1000/–रु0 प्रति माह की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा था। इससे ज्यादा दुःख इस बात है कि जब समुचित प्राधिकार (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत बिहार सरकार के जिला के प्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा) को उसके अधीनस्थ (जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, भोजपुर, आरा) द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह सूचित किया गया कि उसके द्वारा एक अनुसूचित जाति के सदस्य (परिवादी) को 1000/–रु0 माह की दर से अपने सरकारी कार्यालय में काम ले रहा है तो जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा द्वारा उस अधिकारी के नियम विरूद्ध किये जा रहे कार्य के विरूद्ध कोई कार्रवाई न कर उसके साथ मिलकर राज्य आयोग को प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

‘‘यहां यह उल्लेखीय है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियिम 1948 की धारा–22 के अन्तर्गत किसी भी मजदूर को सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत न्यूनतम मजदूरी पाने का वैधिक अधिकार है तथा जो भी व्यक्ति/प्राधिकार उसके इस अधिकार का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाय उसे दंडित किया जा सकता है।’’

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विधिनुसार जो भी पक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी अनुशंसा से असंतुष्ट रहता है तो उसे आक्षेपित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर आक्षेपित आदेश के अनुपालन को स्थगित करने की याचना करनी चाहिए अन्यथा उसे आक्षेपित आदेश का अनुपालन करना होगा।

राज्य आयोग, जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा व उनके अधीनस्थ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), भोजपुर, आरा के दिनांक–01.11.2021 के प्रतिवेदन से पूर्ण रूपेण असंतुष्ट है। ऐसे वरीय पदाधिकारियों से उपरोक्त प्रतिवेदन की अपेक्षा राज्य आयोग नहीं करता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ दिनांक–23.06.2021 को पारित आदेश की प्रति संलग्न कर **जिला पदाधिकारी,**

भोजपुर, आरा, व जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), भोजपुर, आरा को दिनांक–29.03.2022 को व्यक्तिगत रूप से राज्य आयोग के समक्ष, संबंधित समस्त संचिकाओं के साथ, उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत करे साथ ही आज पारित आदेश व दिनांक–23.06.2021 को राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति, परिवादी के परिवाद पत्र की प्रति (पृ0–10–01/प0 व 24–20/प0), जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के प्रतिवेदनों (पृ0–42–35/प0 व 75–67/प0) की प्रति अनुलग्निनत कर इसे सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, द्वितीय तल, इन्दिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना व प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को भेजी जाय।

सुनवाई हेतु संचिका दिनांक–29.03.2022 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक